न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट, बागपत।

उपस्थितः शबिस्ताँ आकिल, एच.जे.एस. (यू0 पी06283)

UPBG010030232022

सेशन केस संख्या-712/2022

राज्य .....अभियोजक।

बनाम

1.राजेन्द्र पुत्र धर्मपाल,
2. मोनू पुत्र राजवीर,
निवासीगण ग्राम मवीकलां, थाना बालैनी, जिला बागपत।

.....अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०	71/2022
अं०धारा	366, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) एवं धारा 3(1)(ध) एस०सी०एस०टी०एक्ट।
थाना	बिनौली।
जिला	बागपत।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मोनू उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिनौली, जिला बागपत की पुलिस द्वारा विचारण हेतु आरोप पत्र संख्या 81/2022, दिनांकित 18-05-2022, मु०अ०सं०-71/2022, अन्तर्गत धारा 366, 376,506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एस०सी०एस०टी०एक्ट) में तथा अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध धारा 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(ध) एस०सी० एस०टी०एक्ट में प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 क के प्राविधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के अनुक्रम में अभियोक्ती की पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभियोक्ती के सम्बन्ध में इस निर्णय में "पीड़िता" शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

3. अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30-03-2022 को समय 10:30 बजे वादी मुकदमा विक्रम पुत्र धर्मपाल, निवासी गांव गल्हैता, थाना बिनौली, जिला बागपत द्वारा एक टाईपशुदा तहरीर थानाध्यक्ष, थाना बिनौली, जनपद बागपत को सम्बोधित करते हुए इस आशय की दी गयी कि उसकी बहन पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष है। उसकी बहन को दिनांक 22-03-2022 को मोनू पुत्र राजबीर प्रजापति, निवासी मवीकलां, थाना बालैनी, जिला बागपत व राजेन्द्र पुत्र धर्मपाल, निवासी मवीकलां, थाना बालैनी, जिला बागपत बहलाफुसला कर अपने साथ ले गये। उस समय प्रार्थी के घर पर कोई नहीं था। उसकी बहन घर पर अकेली थी। पीड़िता का मोबाईल 7668284266 है तथा मोनू का मोबाईल नम्बर 8439904066 है। पहले भी वह उसकी बहन को बहलाफुसला कर ले गया था।

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.09 15:41:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 71/2022 अन्तर्गत धारा 363 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण मोनू व राजेन्द्र के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचानाधिकारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया और गवाहान के बयान अंकित किये गये। तदोपरान्त दिनांक 02-04-2022 को समय करीब 15:10 बजे अपहृता/पीड़िता को बरनावा से आगे चलकर मेरठ की तरफ से बरामद किया गया और पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 366, 376 की वृद्धि की गयी तथा धारा 363 को अपहृता की आयु के संबंध में जॉच कर विलोपित किया गया। तत्पश्चात विवेचना क्षेत्राधिकारी अनुज मिश्रा द्वारा सम्पन्न की गयी और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर अभियुक्त मोनू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 366, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत तथा अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)ध में दिनांक 18-05-2022 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. आरोपपत्र आने पर इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर दिनांक 30-06-2022 को संज्ञान लिया गया ।

6. मेरे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2022 को अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 366, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत तथा अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)ध एस०सी०एस०टी०एक्ट आरोप विरचित किये गये, जिनसे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की। तदोपरान्त अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

7. अभियोजन ने अपना केस साबित करने के लिए निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों (पी.डब्ल्यू. के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत किया है:-

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1	पी०डब्लू 1	विक्रम (वादी मुकदमा)
2	पी०डब्लू 2	प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार (प्राथमिकी साक्षी)
3	पी०डब्लू 3	पीड़िता
4	पी०डब्लू 4	डॉक्टर श्रीमती शावनी गोयल (चिकित्सक साक्षी)
5	पी०डब्लू 5	एस०आई० आदित्य कुमार (विवेचक)
6	पी०डब्लू 6	क्षेत्राधिकारी अनुज मिश्रा (विवेचक)
7	पी०डब्लू 7	हैड कान्सटेबिल तेजवीर सिंह (चिक लेखक)

8. अभियोजन ने अपना केस साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए हैं:-

क्रम संख्या	दस्तावेज प्रदर्श का विवरण	प्रदर्श
1	तहरीर	प्रदर्श क-1

2	बयान धारा 164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क-2
3	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पीड़िता	प्रदर्श क-3
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क-4
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क-5
6	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क-6
7	जी०डी०	प्रदर्श क-7
8	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	प्रदर्श क-8

9. अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिये प्रस्तुत किये गये गवाहों में से प्रथम साक्षी **पी०डब्लू० 1 विक्रम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि यह घटना दिनांक 22-03-2022 की है। उसकी बहन पीड़िता घर पर अकेली थी। मोनू पुत्र राजबीर व राजेन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासीगण मवीकलां दोनों उसके घर पर आये। उसकी बहन पीड़िता को बहलाफुसला कर ले गये। उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। दिनांक 22-03-2022 को शाम 7:00 बजे उसके पास उसकी मम्मी का फोन आया तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा तेरी बहन का कुछ पता नहीं कि वह कहॉ है। वह देर रात अपने घर पर आया। उसने अपनी सभी रिश्तेदारी में फोन किया और इधर-उधर ढूंढा था। उसका कुछ पता नहीं चला फिर दिनांक 30-03-2022 को सुबह 8:30 बजे उसकी बहन का उसके पास फोन आया, उसकी बहन ने उसे बताया कि भईया मोनू व राजेन्द्र उसे अपने साथ लेकर गये और इन दोनों ने उसके साथ बार-बारी से गलत काम किया। दिनांक 30-03-2022 को उसने थाने पहुॅचकर 10:30 बजे उक्त लोगों के विरूद्ध एफ०आई०आर० की। दिनांक 01-04-2022 को उसके घर पर पुलिस ने सूचना दी कि तुम्हारी बहन मिल गयी है कल सुबह कोर्ट पहुॅच कर अपनी बहन को ले जाना। इस साक्षी ने अपने बयानों में तहरीर रिपोर्ट को प्रदर्श क-1 के रूप में प्रमाणित किया है।

इस साक्षी ने अभियुक्त मोनू की ओर से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि अभियुक्त मोनू व पीड़िता को पुलिस ने मेरठ से पकडा था, पुलिस ने उसे बरामदगी के स्थान पर नहीं बुलाया था बल्कि थाने पर बुलाया था। वह थाने पर 3:00-3:30 बजे गया था। उसे उसकी बहन ने मोबाईल नम्बर 7668284266 से फोन किया था। यह फोन उसके घर पर ही रहता है, जब वह घर आया तो यह फोन घर पर नहीं था, रात को ही इसी नम्बर पर उसने फोन किया था, उस समय उसे उसकी बहन ने यह नहीं बताया था कि उसे मोनू व राजेन्द्र ले गये थे। उसकी बहन दिनांक 22-03-2022 को गयी थी। तहरीर उसने बिनौली टाईप करायी थी। तहरीर उसने किससे टाईप करायी थी, वह उसका नाम नहीं बता सकता। वह आठवीं पास है।

इस साक्षी ने अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि उसने अपनी बहन को घर से ले जाते किसी को नहीं देखा था। राजेन्द्र का उसके घर कभी आना जाना नहीं था, न ही कभी राजेन्द्र उसके घर आया था। मोनू का भी घर आना जाना नहीं था। मोनू भटठे पर उसके साथ काम करता था इसलिये वह मोनू को जानता था। मोनू जब उसकी बहन को पहले ले गया था, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। उसकी बहन पहले बालैनी थाने से मिली थी। उसका संजू प्रधान के यहॉ आना जाना है। उन्हीं के भटठे पर वह काम करता है। यह कहना गलत है कि संजू ने ग्राम प्रधानी का चुनाव लडा हो और मुलजिम राजेन्द्र ने संजू को वोट न दी हो और उससे रंजिश रखते हुए संजू के कहने से उसने राजेन्द्र का नाम लिखाया हो। राजेन्द्र ने उसे जातिसूचक शब्द कहे थे। दिनांक 01-04-2022 को कहे थे। फिर कहा 02-04-2022 को जातिसूचक शब्द

कहे थे। जब वह कोर्ट में आया था इससे पहले उसे जातिसूचक शब्द नहीं कहे थे। राजेन्द्र द्वारा धमकी वाली बात जान से मारने की गलत है।

10. पी०डब्लू 2 प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि पीड़िता का प्रवेश रजिस्टर क्रमांक 160 दिनांक 14-07-2012 को कक्षा 6 में प्रवेश हुआ था। जिसकी जन्म तिथि 10-01-2001 है और इसने उसके विद्यालय से कक्षा 8 पास की थी। पीड़िता ने कक्षा 8 विद्यालय के रिकार्ड के अनुसार दिनांक 30-03-2015 में पास की थी। स्कूल छोड़ने की तिथि 31-03-2015 है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि जो उसने पीड़िता की जन्मतिथि 10-01-2001 बतायी है वह कक्षा पांच के रिकार्ड के अनुसार बतायी है। यह बात सही है कि वह आज पीड़िता की दाखिले के समय दी गयी टी०सी० लेकर नहीं आया है। यह बात सही है कि वह पुष्पा की वास्तविक जन्मतिथि नहीं बता सकता।

11. पी०डब्लू 3 पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 22-03-2022 को समय सुबह 10:00 बजे की है। उसे मोनू ने फोन करके बाजार में बुलाया था और कहा था कि उसके पैर में चोट लगी है। इसके बाद वह मोनू के पास चली गयी थी। उस वक्त उसके घर पर कोई नहीं था। वह अकेली थी। फिर मोनू के पास जाने के बाद बातचीत हुई। करीब दो घंटे मोनू के साथ रहने के बाद उसने मोनू से कहा कि उसे अपने घर जाना है तो उसने उसे घर जाने से मना कर दिया फिर मोनू व राजेन्द्र उसे जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहे थे। उसे यह नहीं पता कि वह लोग उसे कहॉ लेकर गये। फिर ले जाने के बाद इन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। फिर राजेन्द्र ने कहा कि यदि उसके पक्ष में गवाही नहीं देगी तो तुझे जान से मार देंगे। फिर उन्होंने उसका फोन भी छीन लिया था और अगले दिन सुबह वह उसे कहीं और लेकर जा रहे थे। उसने मोनू के फोन से अपनी बहन को फोन किया। रास्ते में पुलिस आ गयी थी। तब मोनू उसे छोडकर भागने लगा तो पुलिस ने मोनू को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस थाने लेकर आयी। इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं पर लगे फोटो को देखकर कहा कि यह फोटो उसका ही है। साक्षी को उक्त बयान पढकर सुनाया गया तो इस साक्षी ने कहा कि वह वही बयान है जो उसने दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० को प्रदर्श क-2 के रूप में प्रमाणित किया है।

पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि इस घटना से पूर्व भी वह मोनू के साथ चली गयी थी। इस तथाकथित घटना से एक वर्ष पूर्व वह मोनू के साथ गयी थी। मोनू शादीशुदा है। यह बात भी सही है कि उसने मोनू की पत्नी को देखा है। वह अपनी इच्छा से मोनू के साथ गयी थी क्योंकि वह मोनू से प्यार करती थी। जब वह मोनू के साथ गयी थी तो उसने शोर नहीं मचाया था। मोनू उसे उसके घर से जबरदस्ती नहीं लेकर गया था। उसने घटना की बात अपने भाई को फोन पर बतायी थी। उसे फोन पर घटना बताने वाली बात का समय याद नहीं है। उसने घटना के दो दिन बाद फोन पर अपने भाई को बताया था। यह बात सही है कि उसने घटना के दो दिन बाद सबसे पहले अपने भाई को सूचना दी थी। उसने ही अपने भाई को बताया था तभी उसने थाने पर एफ०आई०आर० करायी थी। उसके पास घटना के समय फोन नहीं था। जिस समय वह अपने घर से गयी थी उस समय उसकी आयु 21 वर्ष थी। उसने पुलिस वालो को अपने बयान में जातिसूचक शब्द नहीं कहे हैं, न ही उसने घटना कारित करने में राजेन्द्र का नाम बताया था। यह बात सही है कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान दिया था उसमें कहीं भी राजेन्द्र ने उसके साथ बलात्कार किया है, यह कहीं पर भी नहीं लिखा है, न ही यह लिखा है कि उसकी राजेन्द्र से कहीकं पर भी व्यक्तिगत मुलाकात हुई हो। पुलिस ने उसे व मोनू का गिरफतार किया था। वह घटना के दिनों में कभी भी नहायी नहीं, न ही उसने कभी अपने कपड़े बदले थे। उन दिनों उसके पास केवल एक जोडी कपडे थे, जो वह पहने हुई थी, इससे अलग कोई कपडे नहीं थे। जो कपडे उसने पहने थे वह उसने पुलिस वालो को दिये थे। यह

बात भी सही है कि घटना के दिन वह अपनी मर्जी से अपने घर से गयी थी। वह किसी के साथ नहीं गयी थी। वह मोनू को पहले से ही जानती थी, उसका मोनू के घर कोई आना-जाना नहीं था, न ही मोनू का उसके घर आना-जाना था। उसने बिनौली से आगे जाते समय कोई शोर नहीं मचाया था। बिनौली अडडे पर काफी लोग खडे रहते हैं। मोनू उसे बिनौली से बस में नहीं ले गया था। मोटरसाईकिल पर ले गया था। वह बिनौली अडडे पर करीब एक-डेढ घंटे तक रही थी। वह होटल में रूकी थी। वह होटल में केवल एक-डेढ घंटे तक बैठी रही थी। उसने केवल कोल्ड ड्रिंक पी थी। कुछ खाया नहीं था। उसने होटल में शोर नहीं मचाया था। जब उसने थाना देखा ही नहीं तो वह शोर क्या मचाती। उसने शोर नहीं मचाया था। यह कहना गलत है कि उसने संजू से साज करके यह मुकदमा गलत लिखाया हो। यह कहना भी गलत है कि उसके साथ मोनू ने जबरदस्ती गलत काम न किया हो।

12. पी०डब्लू 4 डॉक्टर श्रीमती शावनी गोयल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 02-04-2022 को वह जिला अस्पताल बागपत में इमरजेंसी डयूटी में तैनात थी। शाम 7:18 बजे पर कान्सटेबिल तनु सैनी उसके पास पीडिता को मेडिकल परीक्षण करने के लिए लेकर आयी थी। परीक्षण के दौरान पीडिता के बाहरी शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए थे। पीडित ने उसे बताया था कि मोनू नाम के लड़के ने उसे फोन करके अपने घर बुलाया था, कि उसे चोट लग गयी है। यह घटना 21-03-2022 की है। जब वह उसके पास पहुँची तो वह उसे जबरदस्ती उठाकर मेरठ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आन्तरिक परीक्षण में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के कोई भी निशान नहीं पाए गए। उसके द्वारा पीड़िता की डी०एन०ए जाँच के लिए जो भी सैंपल लिये गये वह हैं:-

1. Head Hair Combing Debris
2. in between Finger Debris
3. दोनो हाथो के नाखून की Scraping
4. सिर के बाल
5. वो ब्रेस्ट के स्वाब
6. दो सर्वाइकल स्वाब व दो स्लाइडस
7. दो वेजाइनल स्वेब व दो स्लाइडस
8. दो oral swabes व दो स्लाइडस
9. Blood for DNA Analysis
10. Blood for HIV, VDRL, HbsAg
11. Urine Test for Pregnancy

उसके द्वारा पीडिता के कपडे भी सील किये गये थे तथा सील करके साथ आए कान्सटेबिल को हँड ओवर कर दिये थे। पीड़िता के शरीर पर वेजाइना में कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं पाए गए। अंतिम राय एफ०एस०एल० रिपोर्ट आने के बाद देने का कथन किया है। इस साक्षी ने पीड़िता के चिकित्सीय प्रपत्रों को प्रदर्श क-3 के रूप में प्रमाणित किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि पीडिता के शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। एफ०एस०एल० के लिए उसने ब्लड सैम्पल लिया था। ब्लड एच०आइ०वी, सिर के बाल, दोनो हाथो के नाखूनों की स्क्रेपिंग, दो सर्वाइकल स्वैब व दो स्लाइड, दो वेजाइनल स्वैब व दो स्लाइड, दो ब्रेस्ट स्वैव, दो स्लाइड, दो Gral स्वैब व दो स्लाइड लिए थे। In between Finger Dberis, Head Hair Combing Dberis, पीड़िता के कपडे भी सील किये गये तथा एफ०एस०एल० के लिए भेजे गए थे। घटना मेडिकल के बारह तेरह दिन पुरानी थी। उसने निशान नहीं मिले। वह यह नहीं कह रही है कि पीडिता के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गयी। उसे पीडिता ने बताया था कि दिनांक 21-03-2022 को मोनू नाम के लडके ने बुलाया था तथा वह उसे मेरठ लेकर गया था और उसे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया

था। वह न हीं बता सकती कि जो पीड़िता कपडे पहने आयी थिी वह कितने दिन पुराने थे। स्वयं पीड़िता ने उसे बताया था कि जब उसके साथ घटना हुर्ठ थी तब से वह यही कपडे पहन रही है। पीड़िता के कपडो पर कोई धब्बा व दाग उसे नहीं मिला था।

13. पी०डब्लू 5 एस०आई० आदित्य कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 30-03-2022 को वह बिनौली थाने पर एस०आई० के पद पर तैनात था। इस केस की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी थी। जिसमें उसने नकल चिक, नकल रपट, एफ०आई०आर० लेखक हैड कान्सटेबिल तेजवीर सिंह के बयान अंकित किये थे। दिनांक 31-03-2022 को अभियुक्त व अपहृता की तलाश की गयी, नहीं मिले। दिनांक 02-04-2022 को वादी विक्रम पुत्र धर्मपाल के बयान अंकित किये एवं अपहृता का लिविंग सर्टिफिकेट का अवलोकन किया। हैड मास्टर अमित कुमार के बयान अंकित किये एवं पीड़िता के धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान अंकित किये। दिनांक 03-04-2022 को अभियुक्त मोनू पुत्र राजवीर के बयान अंकित किये। दिनांक 04-04-2022 को मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उक्त दिनांक को ही पीड़िता का धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान न्यायालय में अंकित कराया और बयान का अवलोकन किया। उसके पश्चात पीड़िता को उसके माता-पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। वादी के कहे अनुसार घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया। दिनांक 10-04-2022 को अभियोग में धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट की वृद्धि की गयी। दिनांक 11-04-2022 को विवेचना सी०ओ० अनुज मिश्रा को सुपुर्द की गयी। इस साक्षी ने नक्शा नजरी घटनास्थल को प्रदर्श क-4 के रूप में प्रमाणित किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह थाना बिनौली पर कबसे कम तक रहा उसका दिनांक याद नहीं है। उक्त एफ०आई०आर० घटना के एक हफता बाद दर्ज हुई थी। जिसमें देरी से लिखवाने का कोई कारण नहीं लिखा है। यह बात भी सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। उसने एस०सी०एस०टी०एक्ट, सर्टिफिकेट के आधार पर लगाया था, कोई भी जातिसचूक शब्द नहीं कहा गया था। उसने घटनास्थल वादी की निशानदेही पर बनाया था। यह बात सही है कि उसने नक्शा नजरी पीड़िता की निशानदेही पर नहीं बनाया था। उसने दिनांक 30-03-2022 से पूर्व कोई विवेचना नहीं की थी। लडकी को उसने किस तारीख में बरामद किया था उसे अब याद नहीं है। उसने लड़की को अकेली को बरामद किया था। उसने बरामदगी पर किसी भी जनता के व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराये थे। उसने जहॉ से लडकी बरामद की गयी थी वहॉ का नक्शा नजरी नहीं बनाया था। पीड़िता के बयान किस तारीख को लिये थे अब ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान विवेचक को पढकर सुनाया गया जिसमें राजेन्द्र द्वारा पीड़िता को फोन पर धमकी की बात अंकित नहीं है। यह बात सही है कि उसके पास कोई ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि राजेन्द्र द्वारा पुष्पा को धमकी दी गयी हो। मेडिकल रिपोर्ट में डाक्टर ने स्पष्ट लिखा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। उसने धारा 161 दं०प्र०सं० के आधार पर धारा 376 भा०दं०सं० की वृद्धि की थी। धारा 506 भा०दं०सं० और एस०सी०एस०टी०एक्ट की वृद्धि करने की तारीख भी उसे याद नहीं है। उसने एफ०एस०एल की रिपोर्ट प्रयोगशाला नहीं भेजी थी।

14. पी०डब्लू 6 सी०ओ० अनुज मिश्रा ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 11-04-2022 को उससे पूर्व विवेचक एस०आई० आदित्य कुमार इस मुकदमें की विवेचना कर रहे थे। उपरोक्त मुकदमें में एस०सी०एस०टी०एक्ट की वृद्धि होने के कारण विवेचना उनके द्वारा ग्रहण की गयी। दिनांक 12-04-2022 को उन्होने केस डायरी का अवलोकन किया। दिनांक 17-04-2022, 22-04-22, 26-04-22, 02-05-2022 को अभियुक्त राजेन्द्र की गिरफतारी हेतु उसके मकान पर दबिश दी, नहीं मिला। दिनांक 09-05-2022 को बयान चिकित्सक डाक्टर शावनी गोयल के बयान अंकित किये गये। दिनांक 18-05-2022 को अभियुक्त राजेन्द्र के बयान अंकित किये गये। तमामी विवेचना, बयान गवाहान एवं साक्ष्य संकलन

के आधार पर एवं पीड़िता के धारा 164 दं०प्र०सं० के बयानों के अवलोकन से अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 366, 376 भा०दं०सं० का अपराध पाए जाने पर धारा 363 भा०दं०सं० का विलोप करते हुए धारा 366, 376 भा०दं०सं० की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 506 भा०दं०सं० का होना पाया गया। पीड़िता के अनुसूचित जाति से होने के कारण अभियोग में अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट की तथा अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 3(1)ध एस०सी०एस०टी०एक्ट की वृद्धि की गयी। इस साक्षी ने आरोप पत्र को प्रदर्श क-5 के रूप में प्रमाणित किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसने पीड़िता व वादी के बयानों का अवलोकन किया था। उसने आरोप पत्र में एस०सी०एस०टी०एक्ट की धाराएँ केवल बलात्कार होने के कारण लगायी थी। पीड़िता के बयान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अपराध के संबंध में बताया कि वह अभियुक्त को अच्छी तरह से जानती है। उसने इस बयान के आधार पर पीड़िता और अभियुक्त की जाति के आधार पर ही एस०सी०एस०टी०एक्ट एक आरोप निर्धारित कर आरोप पत्र प्रेषित किया था। उसने घटनास्थल देखा था। घटनास्थल चारो दिशाओं में क्या है वह अब केवल देखकर बता सकता है। एफ०एस०एल रिपोर्ट पत्रावली पर प्रार्थना पत्र थाना बिनौली की रिपोर्ट के साथ दाखिल की गयी है। यह बात सही है कि राजेन्द्र ने पीड़िता को आमने सामने कोई धमकी नहीं दी है। यह बात भी सही है कि राजेन्द्र ने कभी पीड़िता के फोन पर कोई धमकी नहीं दी है। फोन पर धमकी की बात पीड़िता द्वारा बतायी गयी है। यह बात भी सही है कि पीड़िता के पास अपना कोई व्यक्तिगत फोन नहीं था। यह बात भी सही है कि धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में कहीं पर भी राजेन्द्र द्वारा धमकी की बात नहीं लिखी है। यह बात सही है कि राजेन्द्र द्वारा पीड़िता व उसके परिवार को कोई जातिसूचक शब्द नहीं कहा गया है।

15. पी०डब्लू 7 हैड कान्सटेबिल तेजवीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 30-03-2022 को वह थाना बिनौली पर हैड कान्सटेबिल के पद पर तैनात थे। उस दिन वादी विक्रम पुत्र धर्मपाल, निवासी गलहैता थाना बिनौली की तहरीर के आधार पर एस०एच०ओ० बिनौली के निर्देशानुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना दिनांक 22-03-2022 की है जिसमें वादी की बहन पीड़िता को मोनू व राजेन्द्र निवासीगण मवीकलां बहला फुसलाकर अपने साथ ले गये। उसने कान्सटेबिल राहुल कुमार को बोल-बोलकर कम्प्यूटर पर एफ०आई०आर० किता करायी जिसका जी०डी० में भी खुलासा उसके घर बोल-बोलकर कराया गया। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-6 के रूप में व जी०डी० को प्रदर्श क-7 के रूप में प्रमाणित किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि तहरीर पर वादी के हस्ताक्षर दिनांक अंकित नहीं थे। पहले एफ०आई०आर० लिखी थी बाद में चिक काटी थी। उसने पहले जी०डी० लिखी थी बाद में चिक एफ०आई०आर० काटी थी। उसने जी०डी० 10:30 बजे लिखनी शुरू की थी। जी०डी० लिखने में किता समय लगा था याद नहीं है। एफ०आई०आर० लिखने में 10:00 मिनट का समय लगा था। उसने एफ०आई०आर० नहीं लिखी थी बल्कि राहुल ने लिखी थी। एफ०आई०आर० लिखने में कितना समय लगा था राहुल बता सकता है। जी०डी० व एफ०आई०आर० लिखने का एक ही समय है। बिना वादी के हस्ताक्षर के एफ०आई०आर० दर्ज हो सकती है या नहीं, वह नहीं बता सकता। एस०एच०ओ० बता सकते हैं। यह बात सही है कि बिना वादी के हस्ताक्षर के एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होनी चाहिए।

16. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 लेखबद्ध किये गये, जिनमें अभियुक्तगण ने अभियोजन पक्ष की कहानी को गलत बताया और गवाहान द्वारा गलत गवाही देना बताया तथा यह कथन किया है कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। दिनांक 20-02-2026 को एफ०एस०एल० रिपोर्ट आने पर अतिरिक्त

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा सफाई देने से इंकार किया गया।

17. अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य में डी०डब्लू 1 राजेन्द्र पुत्र स्व० पीतम सिंह, निवासी ग्राम मवीकलां, थाना बालैनी, जिला बागपत को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसका व संजय उर्फ संजू का गांव चिरचिटा में भटठे में साझा है। उनके भटठे पर विक्रम पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम गलहैता अपने परिवार सहित ईट पाथने का काम करता था। अभियुक्त राजेन्द्र ने ग्राम प्रधानी में संजय उर्फ संजू को वोट नहीं दी थी इसलिये वह इससे रंजिश रखता था। इसी रंजिश के कारण संजय उर्फ संजू ने विक्रम व उसकी बहन पीड़िता पर जान से मारने की धमकी का झूंठा मुकदमा लिखवाया था क्योंकि विक्रम व उसकी बहन पीड़िता, संजय उर्फ संजू के भटठे पर ईट पाथकर मजदूरी करते थे और उसके कहे में थे।

18. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तगण के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

19. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त मोनू, पीड़िता जोकि अनुसूचित जाति की युवती है, को बहला फुसलाकर जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने या अयुक्त संभोग के उद्देश्य से भगा ले गये तथा पीडिता की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी गयी तथा अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अभियोजन के केस का समर्थन किया है तथा तथ्य को अभियेजन पक्ष द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भली भांति साबित किया गया है तथा अभियुक्त मोनू के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 366, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट का मामला पूरी तरह बनता है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दंडित किया जाये।

20. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मुख्य रूप से कथन किया कि जो साक्षीगण परीक्षित कराये गये उनके बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत करायी गयी है। जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता लगातार अपने बयानों मे सुधार करती रही है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। अभियुक्तगण पीड़िता को बल प्रयोग करके या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करके ले जाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिस कारण घटना मे अभियुक्तगण का शामिल होना सिद्ध नही होता है। अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास है जिसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिये और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिये।

21. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत मामले के निस्तारण के लिए यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या अभियुक्त मोनू द्वारा अनुसूचित जाति की युवती / पीडिता को बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपहरण कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार कारित किया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी और अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गयी और वे दोनों दंडित किये जाने योग्य है?

22. बचाव पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है इसलिये अभियोजन पक्ष के कथानक पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि उसे उसकी बहन के जाने की सूचना उसकी माता द्वारा शाम को 7:00 बजे फोन पर दी गयी थी। वह देर रात

घर आया था। तब उसने रिश्तेदारों में फोन किया था और अपनी बहन को इधर-उधर ढूंढा था। दिनांक 30-03-2022 को सुबह 8:30 बजे उसकी बहन ने उसे फोन पर बताया था कि मोनू और राजेन्द्र उसे अपने साथ ले गये हैं। उसी दिन उसने थाने पहुँचकर 10:30 बजे इन लोगों के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी थी। इस प्रकार अपने मुख्य परीक्षण में वादी द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज कराना तभी कहा गया है जब उसे उसकी बहन ने बताया था कि अभियुक्तगण उसे अपने साथ ले गये हैं उससे पहले अभियोजन कथनानुसार वह बहन को रिश्तेदारों में ढूंढता रहा और रिश्तेदारी में फोन करता रहा। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसे सात दिन बाद पता चला था कि मोनू व राजेन्द्र उसकी बहन को ले गये हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की तहरीर पर थानाध्यक्ष द्वारा एस०आई० को उक्त तहरीर प्रेषित करते हुए यह पृष्ठांकन किया गया है कि ''शीघ्र जॉचकर बताएँ कि कहाँ से लेकर गया तथा लड़की की Age क्या है।'' जिस पर एस०आई० आदित्य कुमार ने अभियोग पंजीकृत कराया जाना उचित प्रतीत होता है ऐसी आख्या प्रेषित की तथा दिनांक 30-03-2022 को अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार वादी ने प्रार्थना पत्र थाने में 25-03-2022 को ही प्रेषित कर दिया था जिस पर थाना पुलिस द्वारा दिनांक 30-03-2022 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकृत होने में हुई देरी का कारण स्पष्ट है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम मनोज कुमार पांडे AIR 2009 SC 711** में यह प्रतिपादित किया है कि "एफ०आई०आर० दर्ज करने में देरी और पक्षपात और/ या पक्षपात की कमी को समझाने के लिए अभियोजन पक्ष के कर्तव्य के बारे में सामान्य नियम बलात्कार के मामलों पर लागू नहीं होता है।" अतः उपरोक्त तर्क का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं जाता है।

23. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी विक्रम द्वारा दी गयी तहरीर में न तो दिनांक अंकित है और न ही वादी के हस्ताक्षर हैं। तहरीर में उक्त दोनों कमियों से घटना संदेहास्पद हो जाती है।

उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा एक टाईपशुदा तहरीर दिनांक 25-03-2022 को थानाध्यक्ष, थाना बिनौली को प्रेषित की गयी है। जहॉ तक वादी के हस्ताक्षर एवं दिनांक उक्त तहरीर पर अंकित न होने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि वह तहरीर पर हस्ताक्षर करना भूल गया था। उस पर दिनांक भी टाईप नहीं है। तहरीर उसने टाईप करवा कर दी थी। तहरीर उसने बिनौली में टाईप करवायी थी। तहरीर उसने किससे टाईप करायी थी वह उसका नाम नहीं बता सकता। वह आठवीं पास है। वादी द्वारा अपने बयान में यह भी कथन किया गया है कि वह भटठे पर काम करता था। उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि वादी मात्र आठवीं कक्षा तक पढा है वह पढाई लिखाई से संबधित कोई कार्य भी नहीं करता बल्कि भटठे पर ईंट पथाई का कार्य करना बताया गया है। उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा तहरीर टाईप करवाई गयी थी। यह भी स्वीकार किया है कि वह हस्ताक्षर करना भूल गया था। तहरीर पर थानाध्यक्ष का पृष्ठांकन भी विद्यमान है। तहरीर पर वादी का नाम स्पष्ट रूप से टंकण द्वारा लिखा हुआ है। उक्त तहरीर को उसके द्वारा प्रदर्श क-1 के रूप में प्रमाणित किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए यदि तहरीर में वादी द्वारा दिनांक व हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये, उक्त का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन पर नहीं पड़ता है।

<u>धारा 366 भा०दं०सं० के संबंध में</u>

24. अभियुक्त मोनू पर अनुसूचित जाति की युवती को बहला फुसलाकर जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग के उद्देश्य से भगा ले जाना तथा पीडिता की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो वादी मुकदमा द्वारा तहरीर इस

आशय की दी गयी थी कि उसकी बहन पीड़िता को 22-03-2022 को मोनू बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जिसके संबंध में पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में यह कथन किया है कि वह कक्षा 9 वी पढ़ी है। उसकी जन्म तिथि 10.01.2001 है। उसकी उम्र करीब 21 वर्ष है। दिनांक 22.03.2022 को उसके फोन पर मोनू पुत्र राजवीर निवासी मवीकलां, थाना बालैनी, बागपत का फोन आया और उसने और उससे झूठ बोलकर कि उसको चोट लगी है, बुला लिया, फिर उसने उसे एक से दो घण्टे अपने साथ रखने के बाद जब पीड़िता ने उससे कहा कि उसे घर जाना है तो वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया फिर वह उसे पता नहीं कहाँ ले गया और उसने वहां उसके साथ बिना उसकी मर्जी के गलत काम किया। दिनांक 02.04.2022 को वह उसे अपने साथ कहीं और जगह ले जा रहा था, तभी वह पुलिस को देखकर उसे सड़क पर छोड़कर भाग गया और पुलिस उसे थाने ले आयी।

25. पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० में यह कथन किया है कि दिनांक 22-03-2022 को मोनू पुत्र राजवीर सिंह ने उसे फोन करके बिनौली में किसी होटल में बुलाया। मोनू को वह जानती है और उसकी बातचीत होती है। मोनू ने उसे कहा कि उसे चोट लगी है, जल्दी आ जा। मोनू ने होटल में उसके साथ बलात्कार किया। मोनू उसे मरेठ ले गया और मोनू, राजेन्द्र से बात करता था। मोनू उसे किसी और जगह ले जा रहा था तो उसने उसका फोन लेकर अपनी बहन को फोन कर दिया। रास्ते में ही पुलिस आ गयी और मोनू उसे छोडकर भाग गया।

26. पीड़िता द्वारा न्यायालय में पी०डब्लू 3 के रूप में दिये गये बयानों में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 22-03-2022 को समय सुबह 10:00 बजे की है। उसे मोनू ने फोन करके बाजार में बुलाया था और कहा था कि उसके पैर में चोट लगी है। इसके बाद वह मोनू के पास चली गयी थी। उस वक्त उसके घर पर कोई नहीं था। वह अकेली थी, फिर मोनू के पास जाने के बाद बातचीत हुई। करीब दो घंटे मोनू के साथ रहने के बाद उसने मोनू से कहा कि उसे अपने घर जाना है तो उसने उसे घर जाने से मना कर दिया फिर मोनू व राजेन्द्र उसे जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहे थे। उसे यह नहीं पता कि वह लोग उसे कहॉ लेकर गये। फिर ले जाने के बाद इन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। फिर राजेन्द्र ने कहा कि यदि उसके पक्ष में गवाही नहीं देगी तो तुझे जान से मार देंगे। फिर उन्होंने उसका फोन भी छीन लिया था और अगले दिन सुबह वह उसे कहीं और लेकर जा रहे थे। उसने मोनू के फोन से अपनी बहन को फोन किया। रास्ते में पुलिस आ गयी थी। तब मोनू उसे छोडकर भागने लगा तो पुलिस ने मोनू को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस थाने लेकर आयी। इस संबंध में यदि वादी के बयानों का अवलोकन किया जाये तो वादी द्वारा कथन किया गया है कि मोनू और पीड़िता को मेरठ से पकडा था और उसे थाने पर बुलाया था। आगे कहा है कि मोनू उसकी बहन को उसके सामने नहीं ले गया था। उसे उसकी बहन ने बताया था। जब उसकी बहन काम कर रही थी तो वह भटठे पर काम कर रहा था। उसे उसकी बहन ने मोबाईल नम्बर 7668284266 से फोन किया था । उसने अपनी बहन को घर से ले लाते हुए किसी को नहीं देखा।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़िता को अभियुक्त मोनू बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। पीड़िता द्वारा स्वयं कथन किया गया है कि वह अपने पैरो से चलकर अपनी मर्जी से गयी थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता दिनांक 02-04-2022 को 22:00 बजे दरकाब चौराहे से अकेले बरामद हुई है। मोनू के कब्जे से बरामद नहीं हुई है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366 व धारा 376 भा०दं०सं० के अन्तर्गत किसी अपराध का गठन नहीं होता है।

उपरोक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि मोनू ने उसे फोन करके बुलाया था। मोनू को वह जानती थी और उससे उसकी बातचीत भी होती थी। जहॉ एक ओर पीड़िता द्वारा अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि मोनू ने उसे चोट लगने के बहाने से बुलाया था वहीं

धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान में फोन करके होटल में बुलाने का कथन किया है। यहॉ यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि वादी द्वारा अपनी तहरीर में यह अंकित किया गया है कि पहले भी मोनू पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जा चुका है। जिससे विदित है कि पीड़िता पूर्व में भी मोनू के साथ जा चुकी है। पीड़िता की जिरह का अवलोकन किया जाये तो पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह मोनू के साथ संजू प्रधान के भटठे पर काम करती थी। वह इस घटना से एक वर्ष पूर्व भी मोनू के साथ चली गयी थी। वह अपनी इच्छा से मोनू के साथ गयी थी क्योंकि वह मोनू से प्यार करती थी, पर वह मोनू से शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मोनू पहले से शादीशुदा था। मोनू उसे घर से जबरदस्ती लेकर नहीं गया था। यह बात भी सही है कि घटना के दिन वह अपनी मर्जी से अपने घर से गयी थी। वह किसी के साथ नहीं गयी थी। इस प्रकार पीड़िता द्वारा स्वीकार किया गया है कि मोनू उसे जबरदस्ती लेकर नहीं गया था वह अपनी इच्छा से मोनू के साथ गयी थी और वह इस घटना से एक वर्ष पूर्व भी मोनू के साथ गयी थी। पीड़िता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह मोनू से प्यार करती थी परन्तु वह मोनू से शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मोनू शादीशुदा है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल है कि पीड़िता मोनू के कब्जे से बरामद नहीं हुई है बल्कि अकेली बरनावा से थोडा आगे चलकर मेरठ मार्ग से बरामद हुई है।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता द्वारा विरोधाभासी कथन किये गये हैं, पीड़िता द्वारा पहले अपनी आयु 17 वर्ष और बाद में 21 वर्ष बतायी गयी है। पीड़िता 21 वर्ष की परिपक्व स्त्री है। उसके पास पर्याप्त अवसर था कि यदि उसे अभियुक्त उसे जबरदस्ती ले जा रहा था तो वह शोर मचा सकती थी या इसका विरोध कर सकती थी। परन्तु उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योकि वह स्वयं गयी थी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीड़िता द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० में अपनी आयु 21 वर्ष बतायी गयी है और जन्म तिथि 10-01-2001 बतायी गयी है। साक्षी पी०डब्लू 2 प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार द्वारा पीड़िता के प्रवेश रजिस्टर क्रमांक 160 दिनांकित 14-07-2012 के अनुसार जन्मतिथि 10-01-2001 बतायी गयी है। इस प्रकार बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि पीड़िता एक परिपक्व महिला है। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि जब वह मोनू के साथ गयी थी उसने शोर नहीं मचाया था। वह मोनू को पहले से ही जानती थी, उसका मोनू के घर कोई आना-जाना नहीं था, न ही मोनू का उसके घर आना-जाना था। उसने बिनौली से आगे जाते समय कोई शोर नहीं मचाया था। बिनौली अडडे पर काफी लोग खडे रहते हैं। मोनू उसे बिनौली से बस में नहीं ले गया था। मोटरसाईकिल पर ले गया था। वह बिनौली अडडे पर करीब एक-डेढ घंटे तक रही थी। वह होटल में रूकी थी। वह होटल में केवल एक-डेढ घंटे तक बैठी रही थी। उसने केवल कोल्ड ड्रिंक पी थी। कुछ खाया नहीं था। उसने होटल में शोर नहीं मचाया था। जब उसने थाना देखा ही नहीं तो वह शोर क्या मचाती। उसने शोर नहीं मचाया था। उसके द्वारा अपने बयानों में यह भी कथन किया गया है कि घटना के दिनों में वह कभी बेहोश नहीं हुई थी। वह अपने पूरे होश हवास में थी। यह भी स्वीकार किया है कि घटना के दिन वह अपनी मर्जी से गयी थी किसी के साथ नहीं गयी थी और आटो से अकेले होटल गयी थी।

29. उपरोक्त विश्लेषण से विदित है कि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस व अकाटय साक्ष्य नहीं है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अभियुक्त पीड़िता को जबरदस्ती या बहला फुसलाकर ले गया हो। पीड़िता के कथनानुसार वह स्वयं गयी थी और वह अभियुक्त के कब्जे से बरामद भी नहीं हुई। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 366 भा०दं.सं० के अपराध का गठन नहीं होता है।

<u>धारा 376 भा०दं०सं० के संबंध में</u>

30. जहॉ तक धारा 376 भा०दं०सं० के अपराध का प्रश्न है इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पीड़िता द्वारा प्रत्येक स्तर पर भिन्न -भिन्न बयान दिये गये हैं और उसके बयानों में गम्भीर अन्तर्रिवरोधाभास हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता के बयानों की पृष्टि अन्य साक्षीगण से भी नहीं होती, यहॉ तक कि पी0 डब्लू-1 विक्रम एवं पी0 डब्लू-3 पीड़िता के बयानों में भी विरोधाभास है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के संबध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं पायी गयी है तथा चिकित्सक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गयी है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **राम किशोर उर्फ राम किशन बनाम उ०प्र०राज्य एवं अन्य 2025 (16) ए०सी०सी० (एसएच) 325** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वादिनी के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता यदि उसका साक्ष्य अन्य साक्ष्यों से असमर्थित हो। जिससे अभियोजन कथानक पर संदेप उत्पन्न होता है। इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

31. उपरोक्त तर्क के संबंध में यहॉ विधि व्यवस्था **रॉव संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (एन०सी०टी० ऑफ दिल्ली) (2012) 8 SCC 21** का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित संप्रेषण किया गया है-

> *In our considered opinion, the 'sterling witness' should be of a very high quality and caliber whose version should, therefore, be unassailable. The Court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the Court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross-examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as, the sequence of it.*

पीड़िता द्वारा प्रत्येक स्तर पर उसके साथ अभियुक्त मोनू द्वारा बलात्कार करना बताया गया है। यदि पीड़िता के साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो पीड़िता द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 22-03-2022 को समय सुबह 10:00 बजे की है। उसे मोनू ने फोन करके बाजार में बुलाया था और कहा था कि उसके पैर में चोट लगी है। इसके बाद वह मोनू के पास चली गयी थी। उस वक्त उसके घर पर कोई नहीं था। वह अकेली थी। फिर मोनू के पास जाने के बाद बातचीत हुई। करीब दो घंटे मोनू के साथ रहने के बाद उसने मोनू से कहा कि उसे अपने घर जाना है तो उसने उसे घर जाने से मना कर दिया फिर मोनू व राजेन्द्र उसे जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहे थे। उसे यह नहीं पता कि वह लोग उसे कहॉ लेकर गये। फिर ले

जाने के बाद इन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। फिर राजेन्द्र ने कहा कि यदि उसके पक्ष में गवाही नहीं देगी तो तुझे जान से मार देंगे। फिर उन्होंने उसका फोन भी छीन लिया था और अगले दिन सुबह वह उसे कहीं और लेकर जा रहे थे। उसने मोनू के फोन से अपनी बहन को फोन किया। रास्ते में पुलिस आ गयी थी। तब मोनू उसे छोडकर भागने लगा तो पुलिस ने मोनू को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस थाने लेकर आयी।

32. पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि इस घटना से पूर्व भी वह मोनू के साथ चली गयी थी। उसने घटना की बात अपने भाई को फोन पर बतायी थी। उसे फोन पर घटना बताने वाली बात का समय याद नहीं है। उसने घटना के दो दिन बाद फोन पर अपने भाई को बताया था। यह बात सही है कि उसने घटना के दो दिन बाद सबसे पहले अपने भाई को सूचना दी थी। उसने ही अपने भाई को बताया था तभी उसने थाने पर एफ०आई०आर० करायी थी। उसके पास घटना के समय फोन नहीं था। जिस समय वह अपने घर से गयी थी उस समय उसकी आयु 21 वर्ष थी। यह बात सही है कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान दिया था उसमें कहीं भी राजेन्द्र ने उसके साथ बलात्कार किया है, यह कहीं पर भी नहीं लिखा है, न ही यह लिखा है कि उसकी राजेन्द्र से कहीं पर भी व्यक्तिगत मुलाकात हुई हो। पुलिस ने उसे व मोनू का गिरफतार किया था। यह कहना गलत है कि उसने संजू से साज करके यह मुकदमा गलत लिखाया हो। यह कहना भी गलत है कि उसके साथ मोनू ने जबरदस्ती गलत काम न किया हो।

33. इस संबंध में पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० व धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान में अभियुक्त मोनू द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में कथन किया है। पीड़िता ने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि अभियुक्त मोनू ने उसके साथ उसकी बिना मर्जी के गलत काम किया। धारा 164 दं०प्र०सं० में पीड़िता ने यह कथन किया है कि मोनू ने होटल में उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही न्यायालय में पी०डब्लू 3 के रूप में दिये गये बयानों में यह कथन किया है कि मोनू ने उसे चोट लगने के बहाने बुलाया और करीब दो घंटे मोनू के साथ रहने के बाद जब उसने अपने घर जाने को कहा तो मोनू ने उसे मना कर दिया और उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।

पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-3 एवं साक्षी पी०डब्लू 4 डॉक्टर श्रीमती शावनी गोयल के बयानों का परिशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा पी०डब्लू 4 को यह बताया गया था कि मोनू नामक लडके ने उसे फोन करके अपने घर बुलाया था कि उसे चोट लग गयी है जब वह उसके पास पहुॅची तो वह उसे जबरदस्ती उठाकर मेरठ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जहॉ तक बचाव पक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि पीड़िता के शरीर पर किसी तरह की कोई बाहय या आंतरिक चोट नहीं पायी गयी, तो यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की चोट अवश्य आए।

34. इसके अतिरिक्त पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। पी०डब्लू 4 द्वारा पीड़िता के सैम्पल लिये गये थे, जो कि निम्न प्रकार हैंः-

1. Head Hair Combing Debris
2. In between Finger Debris
3. दोनो हाथो के नाखून की Scraping
4. सिर के बाल
5. वो ब्रेस्ट के स्वाब
6. दो सर्वाइकल स्वाब व दो स्लाइडस
7. दो वेजाइनल स्वेब व दो स्लाइडस

8. दो oral swabs व दो स्लाइडस
9. Blood for DNA Analysis
10. Blood for HIV, VDRL, HbsAg
11. Urine Test for Pregnancy

पीड़िता द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि वह घटना के दिनों में कभी भी नहायी नहीं, न ही उसने कभी अपने कपड़े बदले थे। उन दिनों उसके पास केवल एक जोडी कपडे थे, जो वह पहने हुई थी, इससे अलग कोई कपडे नहीं थे। जो कपडे उसने पहने थे वह उसने पुलिस वालो को दिये थे। पी०डब्लू 4 के बयानों से स्पष्ट है कि उसके द्वारा पीड़िता के कपडे भी सील किये गये और सील करके साथ आए कान्सटेबिल को हैंड ओवर कर दिये गये।

35. पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क -8 उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जब सैम्पल व पीड़िता के कपडे जॉच हेतु भेजे गये थे साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मोनू से तीन सैम्पल वस्तु क्रमांक 18, 19 व 20 क्रमशः स्लाईड दो (Semen slide) ,बाल (Pubic Hair) व टुकडे नाखून (Nail Clipping) लिये गये थे। जॉच के उपरान्त एफ०एस०एल० रिपोर्ट में वस्तु क्रमांक 13 चडढी जो कि पीड़िता की चडढी व वस्तु क्रमांक 18 जो अभियुक्त मोनू की Semen स्लाईड है, पर शुक्राणु व मानव वीर्य दोनों पाये गये हैं। इस प्रकार एफ०एस०एल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किये गये बलात्कार की सम्पुष्टि होती है।

36. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **निखिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2025 (16) ए०सी०सी० (एसएच)391** दाखिल करते हुए तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त से जॉच हेतु नमूने एकत्रित किये गये हों, न ही नमूने लेने और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कोई श्रंखला दर्शायी गयी है।

उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर अभियुक्त मोनू से नमूने एकत्रित करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद भेजे गए जिसका उल्लेख विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-8 में इस प्रकार किया गया है कि दिनांक 02-05-2022 को नमूने विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए। उक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत है। इस प्रकार उक्त् विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

37. बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था **सुरेश कुमार उर्फ काना बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2024 (15) ए०सी०सी० (एसएच) 198** प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मात्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि बलात्कार की पुष्टि पीड़िता द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से की गयी है। जहॉ तक चिकित्सीय साक्ष्य का प्रश्न है वह एक सम्पुष्टि साक्ष्य की श्रेणी में आता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **Gulafsa Begum vs State Of U.P. Criminal Revision no. - 477 of 2021 dated 03.12.2021 (Allahabad High Court)** में चिकित्सीय साक्ष्य के महत्व को दर्शाते हुए निम्नलिखित संप्रेषण किया है-

In several decisions the Supreme Court held that in a case of rape medical evidence is not always final but medical evidence plays the role of secondary evidence.

इस प्रकार यद्यपि बलात्कार कारित किए जाने के संबंध में पीड़िता का साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य है। परन्तु उसके पूर्ण विश्वसनीय न होने या अर्धविश्वसनीय होने पर उसके संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण समपुष्टि साक्ष्य हो जाता है।

38. जहॉ तक अभियोजन साक्षियों के बयानों में कतिपय अन्तर्विरोधों का प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन साक्ष्य में आये कतिपय स्वाभाविक अन्तर्विरोधों का लाभ अभियुक्त को नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि अभियोजन साक्षियों के बयान में स्वाभाविक अन्तर्विरोध जो नगण्य प्रकृति का है वह आना अत्यन्त स्वाभाविक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **Dharnidhar vs State of UP 2010 (6) SCJ662** व **मकसूदन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (1983) 1 SCC 218** विधि व्यवस्था में यह प्रतिपादित किया गया है कि "समय व्यतीत होने के बाद घटना की बारीकियों को याद रखना संभव नहीं होता। घटना के लम्बे समय बाद जब साक्षी के बयान होते हैं तो छोटे-मोटे विरोधाभास आना स्वाभाविक है। साक्षी की साक्ष्य में छोटे मोटे विरोधाभास आना यह भी दर्शाता है कि वह tutored नहीं है।" अतः उपरोक्त विरोधाभास अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति का है जो अभियोजन के केस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है।

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 5 SCC 777** में यह प्रतिपादित किया है कि "अगर किसी गवाह की गवाही में कोई भौतिक विसंगतियाँ या विरोधाभास नहीं है तो उसके प्रमाण को कुछ सामान्य प्राकृतिक या मामूली विरोधाभासों, विसंगतियों, अतिशयोक्ति अलंकरण के आधार पर गलत तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है।" अतः उपरोक्त तर्क का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं पहुँचता है।

40. गंगा भवानी बनाम रामपति वेकटरेडी व अन्य, क्रिमिनल अपील 86/11 तथा क्रिमिनल अपील 84/11 को दिनांक 04-09-2013 को निर्णीत करते हुये निर्णय के प्रस्तर 9 में इस आशय की विधि व्यवस्था दी है कि साक्षियों के बयान में सामान्य किस्म के अन्तर्विरोध आना स्वाभाविक है। जब तक कि वे अन्तर्विरोध इतना सारवान न हो जो कि अभियोजन साक्ष्य के विरूद्ध विपरीत प्रभाव डालता हो, उनको विश्वास में लेकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के प्रस्तर 9 को शब्दशः उद्धृत किया जाना समीचीन होगा -

> *" 9. In State of U.P. v. Naresh, (2011) 4 SCC 324, this Court afterconsidering a large number of its earlier judgments held: "In all criminal cases, normal discrepancies are bound to occur in the depositions of witnesses due to normal errors of observation, namely, errors of memory due to lapse of time or due to mental disposition such as shock and horror at the time of occurrence. Where the omissions amount to a contradiction, creating a serious doubt about the truthfulness of the witness and other witnesses also make material improvement while deposing in the court, such evidence cannot be safe to rely upon.*
>
> *However, minor contradictions, inconsistencies, embellishments or improvements on trivial matters which do not affect the core of the prosecution case, should not be made a ground on which the evidence can be rejected in its entirety.*

41. अभियुक्त मोनू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जबकि घटनास्थल बिनौली का बाजार बताया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त

मोनू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि वह अकेले अपने घर से आटो से होटल गयी थी।

42. उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बलात्कार के मामलों में पीड़िता का साक्ष्य अगर विश्वसनीय हो तो उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना सम्पुष्टि के भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अभियोजन के उपरोक्त तर्क में विधि का बल है जबकि बचाव पक्ष का तर्क मान्य नहीं है।

43. उपरोक्त से विदित है कि पीड़िता के साक्ष्य में कुछ सूक्ष्म विरोधाभास हैं परन्तु उपरोक्त सूक्ष्म विरोधाभास का उसकी साक्ष्य की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पीड़िता के साक्ष्य की सम्पुष्टि अन्य मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है। इस संबध में सम्पुष्टि साक्ष्य हेतु पी०डब्लू 1 विक्रम के बयान का अवलोकन किया जाये तो उसके द्वारा कथन किया गया है कि उसकी बहन ने उसे दिनांक 30-03-2022 को सुबह 8:30 फोन पर यह बताया था कि मोनू व राजेन्द्र ये दोनों आदमी उसे अपने साथ लेकर गये और इन दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से गलत काम किया। पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोनू ने उसके साथ बलात्कार किया।

44. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रश्न उठाते हुए कथन किया गया है कि कथित घटना मेरठ जनपद में कारित होना बताया गया है। अतः जनपद बागपत में उसका विचारण किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्तुति अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य 2025 (16) ए०सी०सी० (एसएच) 81** प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बलात्कार सतत अपराध नहीं है। अतः यदि बलात्कार नैनीताल व बरेली में किया गया था तो उधम सिंह नगर का कोई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नहीं था। यह भी तर्क दिया है कि बलात्कार के घटनास्थल का कोई नक्शा नजरी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

45. उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि पीड़िता द्वारा बिनौली होटल में जाना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क-4 में विवेचक द्वारा घटनास्थल को X से प्रदर्शित किया गया है जो कस्बा चौकी बिनौली से पहले बड़ौत-मेरठ मार्ग पर गलहैता की ओर है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 8 अ/4 सी०डी० संख्या 42 दिनांकित 02-04-2022 समय 15:50 से विदित है कि पीड़िता बरनावा से थोडा आगे चलकर मेरठ की ओर मिली। इसके अतिरक्त विवेचक पी०डब्लू 5 द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि उसके द्वारा पीड़िता को बरनावा चौकी से बरामद किया गया था पर वहॉ का नक्शा नजरी नहीं बनाया था। विवेचक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि घटनास्थल का नक्शा नजरी उसने वादी की निशानदेही पर बनाया था, पीड़िता की निशानदेही पर नहीं बनाया था। इस प्रकार यद्यपि पत्रावली पर बलात्कार किये जाने वाले स्थान व बरामदगी के स्थान का नक्शा नजरी उपलब्ध नहीं है परन्तु पीड़िता के जाने के स्थान का नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया गया है जिसे विवेचक पी०डब्लू 5 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि घटनास्थल बिनौली थाने से करीब 500 मीटर दिशा दक्षिण में कस्बा बिनौली का है। घटनास्थल के उत्तर में बड़ौत-मेरठ मार्ग तथा सडक पार दुकान बाबू स्वीटस तथा बराबर में लाला नेमचंद की खल की दुकान तथा दुकान गोयल स्वीटस बिनौली स्थित बताया गया है। घटनास्थल के दक्षिण में गल्हैता की ओर जाने वाला मार्ग स्थित होना कहा है। घटनास्थल के पूरब मे फल विक्रेता के ठेले लगते हैं तथा एक नाई की दुकान स्थित बताया है। घटनास्थल के पश्चिम में उज्जवल स्वीटस तथा नाई की दुकान बबलू की मोटरसाईकिल पार्टस की दुकान स्थित बताया है। इस प्रकार घटनास्थल बागपत का है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते।

विवेचना में यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसका कोई लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तथ्य का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन पर नहीं पड़ता है।

46. अतः उपरोक्त प्रकार से पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी साक्ष्य मौजूद है जिससे यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त मोनू द्वारा पीडिता की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए, धारा 375 भा.द.सं. मे उल्लिखित अव्यवो के अनुसार कृत्य करते हुए बलात्संग/मैथुन किया गया है। उपरोक्त प्रकृति की जो अभियोजन साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है उससे अभियुक्त मोनू द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

<u>धारा 506 भा०दं०सं० के संबंध में</u>

47. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाये।

48. इस संबंध में पी०डब्लू 3 पीड़िता के बयानों का परिशीलन किया गया। पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि अभियुक्त राजेन्द्र ने कहा था कि यदि उसके पक्ष में गवाही नहीं देगी तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसने पुलिस वालों को अपने बयान में जातिसूचक शब्द कहना नहीं कहा है, न ही उसने घटना कारित करने में राजेन्द्र का नाम बताया था। पी०डब्ल 6 क्षेत्राधिकारी अनुज मिश्रा ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि राजेन्द्र ने पीड़िता को आमने-सामने कोई धमकी नहीं दी, राजेन्द्र ने कभी पीड़िता को फोन पर कोई धमकी नहीं दी, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में कहीं पर भी राजेन्द्र द्वारा धमकी की बात नहीं लिखी है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० में मात्र यह कथन किया है कि मोनू राजेन्द्र से बात करता था जिसने कहा कि लड़की तेरे पक्ष में गवाही नहीं देगी तो वह लड़की को जान से मार देगा। इस प्रकार पीड़िता द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है राजेन्द्र ने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी, वह फोन पर मोनू से कहता था। पीड़िता ने कहा है कि उसके फोन पर किसी व्यक्ति का फोन नहीं आया, न ही राजेन्द्र का फोन उसके पास आया था। पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी राजेन्द्र से कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, न ही मोनू ने कभी उसकी राजेन्द्र से फोन पर बात करायी। इस प्रकार पीड़िता को राजेन्द्र व मोनू द्वारा कोई जान से मारने की धमकी देने का ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता।

धारा 3(1)(ध) व धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट के संबंध में

49. इसके अतिरिक्त अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 3(1) (ध) एस०सी०एस०टी०एक्ट का आरोप भी विरचित किया गया है।

सर्वप्रथम उक्त प्राविधान को निम्नवत उद्धरित किया जा रहा हैः-

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौंच करेगा।

पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 दं०प्र०सं० में कोई भी ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्त राजेन्द्र ने उसे गाली गलौंच दी हो। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में भी पीड़िता द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा उसे गाली गलौंच दी

गयी हो। अन्य किसी तथ्य के साक्षी ने भी पीड़िता को अभियुक्त द्वारा गाली गलौंच देने का कोई कथन नहीं किया है। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कथन किया है कि उसने पुलिस वालो को अपने बयान में जातिसूचक शब्द नहीं कहे हैं, न ही उसने घटना कारित करने में राजेन्द्र का नाम बताया था। वादी द्वारा स्वयं को न्यायालय परिसर में दौरान विचारण जातिसूचक शब्द कहना बताया है जिसका इस केस के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

50. अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट का आरोप विरचित किया गया है। सर्वप्रथम उक्त प्राविधान का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26-01-2016 से उक्त प्राविधान में 'आधार' के स्थान पर 'जानकारी' को प्रतिस्थापित किया गया है।

51. उपरोक्त के संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो अभियुक्त एवं पीड़िता दोनों एक साथ भटठे पर कार्य करते थे। पीड़िता द्वारा कहीं पर भी ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि अभियुक्त ने उससे उसकी जाति के संबंध में कुछ पूछा हो या उसे किसी जातिसूचक शब्द से सम्बोधित किया हो या जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया हो। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर माना जा सके कि अभियुक्त ने जानबूझकर यह जानते हुए कि पीड़िता एक अनुसूचित जाति की महिला है, उसके साथ बलात्कार कारित किया। स्वयं पीड़िता द्वारा अभियुक्त मोनू से प्रेम करने का कथन किया गया है।

52. प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त को किसी भी प्रकार से यह ज्ञान हो कि पीड़िता अनुसूचित जाति की महिला हो। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6 मात्र धारा 363 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी है उसमें एस०सी०एस०टी०एक्ट से संबंधित कोई धारा नहीं है। पी०डब्लू 5 ने यह कथन किया है कि ''यह बात सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था, न ही मुकदमा वादी व पीड़िता के बयानों में कहीं पर भी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की बात लिखी है एस०सी० एस०टी०एक्ट सर्टिफिकेट के आधार पर लगाया था कोई भी जातिसूचक शब्द नहीं कहा था।'' इस संबंध में पी०डब्लू 6 द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि उसने आरोप पत्र में एस०सी०एस०टी०एक्ट की धाराएँ केवल बलात्कार होने के कारण लगायी थीं। जबकि पीड़िता ने बताया था कि वह अभियुक्त को अच्छी तरह से जानती है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी अभियुक्त को इस संबंध में जानकारी होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह भी कथन किया है कि मात्र पीड़िता के अनुसूचित जाति होने के कारण 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट की वृद्धि कर दी थी। किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्त मोनू ने पीड़िता के साथ बलात्कार यह जानते हुए किया हो कि वह अनुसूचित जाति की महिला हो। अन्य कोई तथ्य भी इस और इंगित नहीं करता कि अभियुक्त ने यह जानते हुए पीड़िता के साथ उक्त अपराध कारित किया हो। साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से अभियुक्त का ऐसा कोई ज्ञान या इरादा परिलक्षित नहीं होता। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट का कोई अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है।

53. बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलना कहा है जबकि इस संबंध में अभियुक्त मोनू द्वारा अपने धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के बयानों का अवलोकन किया जाए तो उसके द्वारा कहा गया है कि उसके विरूद्ध मुकदमा रंजिश के कारण चला है लेकिन अभियुक्त

द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उसकी पड़िता के साथ क्या रंजिश थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मोनू की ओर से अपनी सफाई में कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अपना केस अन्तर्गत धारा 376 भा०दं०सं० मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त मोनू के विरूद्ध साबित किया गया है।

54. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात इस न्यायालय का मत है कि पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है कि अभियुक्त मोनू द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार कारित किया गया, जोकि धारा 376 भा0 दं0 सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है।

55. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य की विस्तृत समीक्षा व विश्लेषण से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अभियोजन पक्ष अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 376 भा0 दं0 सं0 का आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त मोनू धारा 376, भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप सिद्ध पाया जाता है।

56. अभियोजन पक्ष अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 366, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट तथा अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(ध) एस०सी०एस०टी०एक्ट का आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त मोनू धारा 366, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य है एवं अभियुक्त राजेन्द्र धारा 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(ध) एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजेन्द्र को धारा 506 भा.दं.सं. व धारा 3 (1)(ध) एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजेन्द्र पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है। प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा धारा 437-क दं०प्र०सं० के अनुपालन में मुबलिग 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभूपत्र प्रस्तुत किए जायें, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक वैध रहेंगे।

अभियुक्त मोनू को धारा 366, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) एस०सी० एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त मोनू को धारा 376 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त मोनू पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है। प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त मोनू के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु 07-03-2026 को पेश हो। बचाव पक्ष दण्ड के प्रश्न पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांकः- 06.03.2026

(शबिस्ताँ आकिल)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट, बागपत।

<u>दिनांक-07.03.2026</u>

<u>दण्ड के बिन्दु पर</u>

पत्रावली दण्ड की मात्रा पर सुनवायी हेतु पेश हुई। अभियुक्त मोनू न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं। पक्षकारों द्वारा सजा के बिन्दु पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक (एस०सी०एस०टी०एक्ट) को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने का अपराध किया गया है। उक्त अपराध के भय से समाज में महिलाओं के लिए प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न होता है। जिसके कारण उनके विकास की गति भी धीमी हो जाती है। इस प्रकार उक्त अपराध न केवल पीड़िता के लिए अपितू समाज के लिए भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अभियुक्त दया का पात्र नहीं है उसे कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त 32 वर्षीय युवक है। उसकी पत्नी कामकाजी महिला नहीं है बल्कि एक गृहणी है। अभियुक्त एक गरीब मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। मजदूरी के अतिरिक्त उसके पास अपनी आजीविका हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण व उनकी पढ़ाई का खर्च उठाता है। अभियुक्त के तीन बच्चे हैं। जिनमें दो लड़के व एक लड़की है। एक लड़का 10 साल का, दूसरा लड़का 07 साल का तथा लड़की 05 साल की है। अभियुक्त की 62 वर्षीय विधवा मॉ भी है जिसको प्रायः बीमार रहना बताया गया है। उपरोक्त सभी की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है।

दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, इसके पूर्व उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है। वह अत्यन्त गरीब है, उसके घर में उसके अतिरिक्त कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उसके जेल में रहने से उसके परिवार के सदस्यों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और वे भूखे मर जांएगें। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड दिये जाने पर विचार किया जाये। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से भी अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के संबंध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार यह अभियुक्त का प्रथम अपराध माना जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में **Gurmukh Singh v. State of Haryana, Criminal Appeal No. 1609 of 2009** निर्णय दिनॉकित 25.08.2009 की विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना सुसंगत प्रतीत होता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्प्रेषित किया गया है कि-

24. These are some factors which are required to be taken into consideration before awarding appropriate sentence to the accused. These factors are only illustrative in character and not exhaustive. Each case has to be seen from its special perspective. The relevant factors are as under:
a) Motive or previous enmity;
b) Whether the incident had taken place on the spur of the moment;
c) The intention/knowledge of the accused while inflicting the blow or injury;
d) Whether the death ensued instantaneously or the victim died after several days;
e) The gravity, dimension and nature of injury;
f) The age and general health condition of the accused;
g) Whether the injury was caused without pre-meditation in a sudden fight;
h) The nature and size of weapon used for inflicting the injury and the force with which the blow was inflicted;
i) The criminal background and adverse history of the accused;
j) Whether the injury inflicted was not sufficient in the ordinary course of nature to cause death but the death was because of shock;

k) Number of other criminal cases pending against the accused;
l) Incident occurred within the family members or close relations;
m) The conduct and behaviour of the accused after the incident. Whether the accused had taken the injured/the deceased to the hospital immediately to ensure that he/she gets proper medical treatment ? These are some of the factors which can be taken into consideration while granting an appropriate sentence to the accused. The list of circumstances enumerated above is only illustrative and not exhaustive. In our considered view, proper and appropriate sentence to the accused is the bounded obligation and duty of the court. The endeavour of the court must be to ensure that the accused receives appropriate sentence, in other words, sentence should be according to the gravity of the offence. These are some of the relevant factors which are required to be kept in view while convicting and sentencing the accused.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Anversinh @ Kiransinh Fatesinh Zala v. State of Gujarat, Criminal Appeal No. 1919 of 2010 Dated 12.01.2021** की विधि व्यवस्था में निम्नलिखित सम्प्रेषण किया है-

20. Having held so, we feel that there are many factors which may not be relevant to determine the guilt but must be seen with a humane approach at the stage of sentencing. The opinion of this Court in State of Madhya Pradesh v. Surendra Singh[Criminal Appeal No. 2401 of 2014] on the need for proportionality during sentencing must be re-emphasised. This Court viewed that:

"13. We again reiterate in this case that undue sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law. It is the duty of every court to award proper sentence having regard to the nature of the offence and the manner in which it was executed or committed. The sentencing courts are expected to consider all relevant facts and circumstances bearing on the question of sentence and proceed to impose a sentence commensurate with the gravity of the offence. The court must not only keep in view the rights of the victim of the crime but also the society at large while considering the imposition of appropriate punishment. Meager sentence imposed solely on account of lapse of time without considering the degree of the offence will be counterproductive in the long run and against the interest of the society."

इस संबंध में निम्नलिखित विधि-व्यवस्था का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त की समस्त परिस्थतियों पर विचार करने के संबंध में अपना मत व्यक्त किया है- **K.P. Singh vs State (N.C.T) Of Delhi (2015) 15 SCC 497**

[T]he quantum of sentence that may be awarded depends upon a variety of factors including mitigating circumstances peculiar to a given case. The Courts generally enjoy considerable amount of discretion in the matter of determining the quantum of sentence. In doing so, the courts are

influenced in varying degrees by the reformative, deterrent and punitive aspects of punishment, delay in the conclusion of the trial and legal proceedings, the age of the accused, his physical/health condition, the nature of the offence, the weapon used and in the cases of illegal gratification the amount of bribe, loss of job and family obligations of accused are also some of the considerations that weigh heavily with the Courts while determining the sentence to be awarded.

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित करते समय न केवल अभियुक्त की परिस्थतियों को देखने हेतु कहा गया है अपितु पीड़ित व समाज के हितों को भी दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक अभियुक्त की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्डादेश पारित किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा बलात्संग जैसा गंभीर अपराध किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एक 32 वर्षीय व्यक्ति है। जिसके ऊपर अपनी माँ, पत्नी व तीन बच्चों की जिम्मेदारी है। अभियुक्त समाज के गरीब वर्ग से संबंध रखता है। उसकी पत्नी भी एक गृहणी है और कामकाजी स्त्री नहीं है। उसकी मॉ 60 वर्षीय विधवा औरत है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शाया नहीं गया है। अतः मामले में वर्णित उक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में व्यक्त किये गये सिद्धांत एवं मत व समस्त उत्तेजक (aggravating) व कम करने वाले (mitigating) कारकों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्त मोनू को अन्तर्गत धारा 376 भा०दं०सं० के अन्तर्गत **10 वर्ष (दस वर्ष) के कठोर कारावास** व **10,000/- (दस हजार) रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त **मोनू पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम मवीकलां, थाना बालैनी, जिला बागपत** को मु०अ०सं०-71/2022, थाना बिनौली, जिला बागपत में धारा-376 भा०दं०सं० के अन्तर्गत **10 वर्ष (दस वर्ष) के कठोर कारावास** व **10,000/-(दस हजार) रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को **5 माह (पाँच माह)** का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त मोनू द्वारा इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि, यदि कोई हो, तो उक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त को सजा भोगने हेतु सजायाबी वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा जाए।

दोषसिद्ध अभियुक्त मोनू द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि अदा किये जाने पर पचास प्रतिशत धनराशि पीड़िता पक्ष को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाये। अभियुक्त को निर्णय की प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः- 07.03.2026

(शबिस्ताँ आकिल)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट, बागपत।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः- 07.03.2026

(शबिस्ताँ आकिल)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट, बागपत।